निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 22 पटना, बुधवार, 9 ज्येष्ठ 1934 (श0)
30 मई 2012 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-10
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	11-18
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	19-21

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

9 मई 2012

एस0ओ0 99, दिनांक 30 मई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-239/जे0, दिनांक 21 जनवरी 1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अर्जुन नारायण शर्मा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 21 जनवरी 2008 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्त्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अर्जुन नारायण शर्मा	अधिवक्ता, नोटरी जहानाबाद बार एसोशियेशन	21.01.94	बी0एस0सी0 एल0एल0बी0	जहानाबाद जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-88/92/3644/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

---

9 मई 2012

एस0ओ0 100, एस0ओ0 99, दिनांक 30 मई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-88/92/3644/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

The 9th May 2012

S.O 99, dated 30th may 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Arjun Narayan Sharma and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 239/J dated 21st January 1994 to practice as notary again for the next five years from 21st January 2008

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Arjun Narayan Sharma	Advocate, Notary Bar Assosiation Jehanabad	21.01.94	B.Sc L.L.B	Jehanabad District	

(File no.-A/Not-88/92/3644/J)
By order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA,
Secretaty.

---

9 मई 2012

एस0ओ0 97, दिनांक 30 मई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1072/जे0, दिनांक 7 मार्च 1992 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री शशि भूषण, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 7 मार्च 2011 से पुन: अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं ।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्त्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री शशि भूषण	अधिवक्ता, नोटरी व्यवहार न्यायालय मधेपुरा।	07.03.1992	बी0एस0सी0 एल0एल0बी0	मधेपुरा जिला	

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-40/91/3645/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

---

9 मई 2012

एस0ओ0 98, एस0ओ0 97, दिनांक 30 मई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-40/91/3645/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

The 9th May 2012

S.O 97, dated 30th May 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shashi Bhushan and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 1072/J, dated 7th March 1992 to practice as notary again for the next five years from 7th March 2011.

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Shashi Bhusan	Advocate, Notary Madhepura	07.03.92	B.Sc L.L.B	Madhepura District	

(File no.-A/AB-40/91/3645/J)
By order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA,
Secretaty.

---

22 मई 2012

एस0ओ0 95, दिनांक 30 मई 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2943/जे0, दिनांक 1 मई 1989 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री कपलेश्वर लाल कर्ण, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 1 मई 2011 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते है।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्त्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री कपलेश्वर लाल कर्ण	अधिवक्ता, अररिया	01.05.1989	बी0ए0 एल0एल0बी0	अररिया जिला	

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-35/87/3962/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

---

22 मई 2012

एस0ओ0 96, एस0ओ0 95, दिनांक 30 मई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-35/87/3962/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

The 22nd May 2012

S.O 95, dated 30th May 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Kapleshwar Lal Karn and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 2943/J dated 1st May 1989 to practice as notary again for the next five years from 1st May 2011.

Name of Notary	Residental/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Kapleshwar Lal Karn	Advocate, Araria	01.05.1989	B.A L.L.B	Araria District	

(File no.-A/AB-35/87/3962/J)
By order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA,
Secretaty.

योजना एवं विकास विभाग

अधिसूचना
24 मई 2012

सं० स्था01–6/95–1946/यो0वि0—डॉ जितेन्द्र कुमार सिन्हा, संयुक्त निदेशक (वेतनमान–15600–39100, ग्रेड पे–7600) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को वरीय संयुक्त निदेशक (वेतनमान–37400–67000, ग्रेड पे–8700) के पद पर प्रोन्नति देते हुए अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। अधिसूचना निर्गत होने के बाद प्रभार ग्रहण की तिथि से यह प्रोन्नति प्रभावी होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मयंक भूषण पाठक, विशेष सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं
16 मई 2012

सं० 1/एल०–84/2005–सा०प्र०–7017—श्री रामेश्वर सिंह, भा०प्र०से० (83), प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम–10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 27 अप्रील 2012 से 10 मई 2012 तक कुल चौदह (14) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आनन्द बिहारी प्रसाद, संयुक्त सचिव।

---

15 मई 2012

सं० 1/पी०–369/2007–सा०प्र०–6951—श्री संजीव कुमार सिन्हा, भा०प्र०से० (86), परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण सासाईटी, पटना अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) के अधीन संकाय प्रमुख, ई–गवर्नेस केन्द्र तथा राजस्व, वित्त एवं परियोजना प्रबंधन केन्द्र के प्रभार में रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आनन्द बिहारी प्रसाद, संयुक्त सचिव।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना
28 नवम्बर 2011

एस.ओ.सं0–I बी[1]– 101/2008–3572—निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा–5 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल ने कैमूर जिलान्तर्गत मोहनियाँ अनुमण्डल मुख्यालय में वर्ष 2010–11 तक के लिए अस्थाई रूप से खोले गए अवर निबंधन कार्यालय तथा उक्त कार्यालय के लिए अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रि प्रहरी (अराजपत्रित) तथा आदेशपाल (अराजपत्रित) के एक–एक सृजित पद का वर्ष 2011–12 तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

02. यह अधिसूचना विभागीय अधिसूचना सं0 31, दिनांक 05 जनवरी 2010 के क्रम में निर्गत की जा रही है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी, सचिव।

पत्र संख्या I/बी[1]– 101/2008–3573
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

प्रेषक : आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव।

सेवा में;
महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना,15, दिनांक 28 नवम्बर 2011

विषय :– कैमूर जिलान्तर्गत मोहनियाँ अनुमण्डल मुख्यालय में वर्ष 2010–11 में अस्थाई रूप से खोले गए अवर निबंधन कार्यालय तथा उक्त कार्यालय के लिए अस्थाई रूप से अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रि प्रहरी (अराजपत्रित) तथा आदेशपाल (अराजपत्रित) के सृजित एक–एक पद का वर्ष 2011–12 के लिए अवधि विस्तार के संबंध में।

प्रसंग : – विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 28, दिनांक 05.01.2010

आदेशः – स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के क्रम में कहना है कि सरकार ने कैमूर जिलान्तर्गत मोहनियाँ अनुमण्डल मुख्यालय में वर्ष 2010–11 में अस्थाई रूप से खोले गए अवर निबंधन कार्यालय तथा उक्त कार्यालय के लिए अस्थाई रूप से सृजित अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रि प्रहरी (अराजपत्रित) तथा आदेशपाल (अराजपत्रित) के एक–एक पद का वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल अनुमानित व्यय रू. 6,99,626/– (छः लाख निन्नानवे हजार छः सौ छब्बीस रूपये) मात्र पर अवधि विस्तार के प्रस्ताव में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। तत्संबंधी व्यय विवरणी संलग्न है।

02. संबंधित अवर निबंधन कार्यालय के अवर निबंधक उपर्युक्त पदों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

03. उपर्युक्त पदों पर नियुक्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान ''मुख्यशीर्ष–2030–स्टाम्प तथा पंजीकरण, उप–मुख्यशीर्ष–03–पंजीकरण, लघुशीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष–0002–जिला प्रभार'' विपत्र कोड–N–2030030010002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–2011–12 के लिए उपबंधित राशि से किया जाएगा।

04. इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी, सचिव।

अनुलग्नकः–1
व्यय विवरणी

कैमूर जिलान्तर्गत मोहनिया अनुमंडल मुख्यालय में नया अवर निबंधन कार्यालय खोले जाने के फलस्वरूप संभावित व्ययः –

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	अपुनरीक्षित वेतनमान	वेतनबैंड	ग्रेड वेतन	कुल वार्षिक व्यय
1	2	3	4	5	6	7
01.	अवर निबंधक (राजपत्रित)	01 (एक)	6,500–10,500	9,300–34,800	4,800	3,05,400
02.	रात्रिप्रहरी (अराजपत्रित)	01 (एक)	2,550–3,200	4,440–7,440	1,300	91,080
03.	आदेशपाल (अराजपत्रित)	01 (एक)	संविदा के आधार पर	समेकित पारिश्रमिक 7,405 रू.		7,405
					योग :–	**4,03,885**

(1) वेतन :–	
01. पदाधिकारी –	3,05,400
02. रात्रिप्रहरी –	91,080
03. आदेशपाल (संविदा के आधार पर)–	7,405
(2) महँगाई भत्ता (51 प्रतिशत)	
01. पदाधिकारी –	1,55,754
02. रात्रिप्रहरी –	46,451
(3) मकान भाड़ा (7.5 प्रतिशत)	
01. पदाधिकारी –	22,905
02. रात्रिप्रहरी –	6,831
(4) चिकित्सा भत्ता	
01. पदाधिकारी –	2,400
02. रात्रिप्रहरी –	2,400
(5) आकस्मिक व्यय	
01. कार्यालय का मकान भाड़ा	49,000
02. लेखन सामग्री	10,000
	कुल :– 6,**99,626**

व्यय का सारांश

01.	पदाधिकारी का वेतन, महँगाई भत्ता एवं अन्य व्यय	–	4,86,459
02.	रात्रिप्रहरी का वेतन, महँगाई भत्ता एवं अन्य व्यय	–	1,46,762
03.	आदेशपाल (संविदा के आधार पर)	–	7,405
04.	आकस्मिक व्यय	–	59,000
		कुल :–	**6,99,626**

(छः लाख निनान्वे हजार छः सौ छब्बीस रूपये मात्र)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी, सचिव।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना

19 अप्रील 2012

एस.ओ.सं0–II/ई[1]– 123/2000–**1272**––जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अनुशंसा के आलोक में निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा–5 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल ने मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर अनुमण्डल मुख्यालय में वर्ष 2010–11 में अस्थाई रूप से खोले गए अवर निबंधन कार्यालय तथा उक्त कार्यालय के लिए अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रि प्रहरी (अराजपत्रित) तथा आदेशपाल (अराजपत्रित) के एक–एक सृजित पद का वर्ष 2012–13 तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

02. यह अधिसूचना विभागीय अधिसूचना सं0 1344, दिनांक 24.05.2010 के क्रम में निर्गत की जा रही है।

03. इस संबंध में पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश सं0 958, दिनांक 27.03.2012 को विलोपित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विजय रंजन, उप–सचिव।

पत्र संख्या II/ई[1]– 123/2000–**1273–अनु.**

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

(निबंधन)

प्रेषक : विजय रंजन
सरकार के उप–सचिव।

सेवा में,
महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना,15, दिनांक 19 अप्रील 2012

विषय : – मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर अनुमण्डल मुख्यालय में वर्ष 2010–11 में अस्थाई रूप से खोले गए अवर निबंधन कार्यालय तथा उक्त कार्यालय के लिए अस्थाई रूप से अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रि प्रहरी (अराजपत्रित) तथा आदेशपाल (अराजपत्रित) के सृजित एक–एक पद का वर्ष 2012–13 के लिए अवधि विस्तार के संबंध में।

प्रसंग : – विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 1345, दिनांक 24.05.2010

आदेशः – स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के क्रम में कहना है कि सरकार ने मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर अनुमण्डल मुख्यालय में वर्ष 2010–11 में अस्थाई रूप से खोले गए अवर निबंधन कार्यालय तथा उक्त कार्यालय के लिए अस्थाई रूप से सृजित अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रि प्रहरी (अराजपत्रित) तथा आदेशपाल (अराजपत्रित) के एक–एक पद का वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल अनुमानित व्यय **रू. 8,87,121/– (आठ लाख सतासी हजार एक सौ एक्कीस रूपये) मात्र** पर अवधि विस्तार के प्रस्ताव में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। तत्संबंधी व्यय विवरणी संलग्न है।

02. संबंधित अवर निबंधन कार्यालय के अवर निबंधक उपर्युक्त पदों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

03. उपर्युक्त पदों पर नियुक्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान "मुख्यशीर्ष–2030–स्टाम्प तथा पंजीकरण, उप–मुख्यशीर्ष–03–पंजीकरण, लघुशीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष–0002–जिला प्रभार" विपत्र कोड–N–20300 30010002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए उपबंधित राशि से किया जाएगा।

04. इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
विजय रंजन, उप–सचिव।

अनुलग्नकः–1

व्यय विवरणी

मुंगेर जिला अन्तर्गत तारापुर अनुमंडल मुख्यालय में अस्थायी रूप से नया अवर निबंधन कार्यालय खोले गये के स्पष्टीकरण के फलस्वरूप होने वाले संभावित व्यय।

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	अपुनरीक्षित वेतनमान	वेतनबैंड	ग्रेड वेतन	कुल वार्षिक व्यय
1	2	3	4	5	6	7
01.	अवर निबंधक (राजपत्रित)	01 (एक)	6,500–10,500	9,300–34,800	4,800	3,22,200
02.	रात्रिप्रहरी (अराजपत्रित)	01 (एक)	2,550–3,200	4,440–7,440	1,300	86,880
03.	आदेशपाल (अराजपत्रित)	01 (एक)	2,550–3,200	4,440–7,440	1,300	86,880
					योग :–	**4,95,960**

(1) वेतन :–	
01. पदाधिकारी –	3,22,200
02. रात्रिप्रहरी –	86,880
03. आदेशपाल –	86,880
(2) महँगाई भत्ता (58 प्रतिशत)	
01. पदाधिकारी –	1,86,876
02. रात्रिप्रहरी –	50,394
03. आदेशपाल –	50,394
(3) मकान भाड़ा (7.5 प्रतिशत)	
01. पदाधिकारी –	24,265
02. रात्रिप्रहरी –	6,516
03. आदेशपाल –	6,516

(4) चिकित्सा भत्ता	
01. पदाधिकारी –	2,400
02. रात्रिप्रहरी –	2,400
03. आदेशपाल –	2,400
(5) आकस्मिक व्यय	
01. कार्यालय का मकान भाड़ा	49,000
02. लेखन सामग्री	10,000
	कुल :– 8,87,121

व्यय का सारांश

01.	पदाधिकारी का वेतन, महँगाई भत्ता एवं अन्य व्यय	–	5,35,741
02.	रात्रिप्रहरी एवं आदेशपाल का वेतन, महँगाई भत्ता एवं अन्य व्यय	–	2,92,380
03.	आकस्मिक व्यय	–	59,000
		कुल :–	**8,87,121**

(आठ लाख सतासी हजार एक सौ एक्कीस रूपये मात्र)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विजय रंजन, उप–सचिव।

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचनाएं

22 मई 2012

सं० नि०प्रा०/ नि० 1-08/2012/ 8067—बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 6477, दिनांक 12 मई 2012 द्वारा बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 के तहत निर्बंधित सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार के लिए निर्वाचन पदाधिकारी (सहयोग समितियाँ) नियुक्त किया गया है एवं यह भी उल्लेख किया गया है कि सामान्य तौर प्रखंड विकास पदाधिकारी ही निर्वाचन पदाधिकारी (सहयोग समितियाँ) होंगे, किन्तु विशेष परिस्थिति में उनकी अनुपस्थिति या कार्य हित में जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सहयोग समितियाँ) की अनुशंसा पर अंचलाधिकारी भी उस कार्य का निर्वहन करेंगे।

सम्प्रति बहुत से प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड स्तरीय व्यापार मंडल के प्रशासक के रूप में नियुक्त हैं। अतएव जिन प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी व्यापार मंडल के प्रशासक के रूप में नियुक्त हैं, उन प्रखंडों में अवस्थित व्यापार मंडल के चुनाव के लिए संबंधित अंचल पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी होंगे।

प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 6477, दिनांक 12 मई 2012 उपर्युक्त हद तक संशोधित माने जायेंगे।

आदेश से,

एन० एस० माधवन,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

---

22 मई 2012

सं० नि०प्रा०/नि० 1-08/2012/ 8068—बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम, 2011 के धारा-14 (क) (1) के प्रावधानों के आलोक में सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या 1273, दिनांक 01 मार्च 2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के अधीन निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन संचालन का दायित्व बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सौंपा गया है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 की धारा-5 (2) एवं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली 2008 के नियम 6 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य स्तरीय प्राथमिक सहयोग समितियों के निर्वाचन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर को निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. अनुमंडल पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी राज्य स्तरीय प्राथमिक सहयोग समितियों के निर्वाचन हेतु अपने अधीन कार्यरत प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी/ भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता/ उप-समाहर्त्ता को उप-निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

4. अनुमंडल पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सहयोग समितियाँ), पटना के निर्देशन एवं नियंत्रण में उक्त समितियों का चुनाव संबंधी कार्य करेंगे।

5. उक्त सभी पदनामित पदाधिकारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 के अन्तर्गत बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में निर्वाचन का संचालन करेंगे।

आदेश से,
एन० एस० माधवन,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

जल संसाधन विभाग
कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय

अधिसूचनाएं
30 मार्च 2012

सं0 क0/स्था0–03/2012–181––कृषि विभाग की अधिसूचना सं0 1718, दिनांक 26 मार्च 2012 के आलोक में कॉलम–2 में अंकित पदाधिकारियों का पदस्थापन कॉलम–3 में अंकित अभिकरणों में किया जाता है:–

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	पदस्थापन स्थान
1	2	3
1	श्री संदीप कुमार राय, सहायक कृषि निदेशक (सां0), बिहार कृषि सेवा कोटि–9, (सां0) वर्ग–2	सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना ।
2	श्री मुरली मनोहर घोष, सहायक कृषि निदेशक (सां0), बिहार कृषि सेवा कोटि–9, (सां0) वर्ग–2	किउल–बदुआ–चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर ।

यह पदस्थापन विभाग में योगदान की तिथि दिनांक 27 मार्च 2012 के अपराह्न से प्रभावी होगी ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुमीर कुमार चटर्जी,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

---

15 मई 2012

सं0 क0/स्था0–26/2001–249––श्री मिन्हाज आलम, (भा0प्र0से0), प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर को अध्यक्ष, किउल–बदुआ–चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर के पद पर दिनांक 10 अप्रील 2012 के पूर्वाह्न के प्रभाव से अधिसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुमीर कुमार चटर्जी,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 11–571+**200**-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

27 मार्च 2012

सं0 क0/स्था0–03/2008–165—किउल–बदुआ–चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर के लिए कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, जल संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या–क0/स्था0–03/2008–138 दिनांक–28 जनवरी 2010 द्वारा गठित बोर्ड की अवधि दिनांक 28 जनवरी 2012 को समाप्त हो जाने के फलस्वरूप बिहार कृषक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम 1978(बिहार अधिनियम–3,1979) की धारा 4(1) के अधीन एक बोर्ड का निम्नवत् पुनर्गठन किया जाता है:–

(क)	अध्यक्ष	प्रमण्डलीय आयुक्त–सह–अध्यक्ष, किउल–बदुआ–चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर ।
(ख)	अभिकरणों के कार्यक्षेत्र मेंपड़नेवालेजिलों के जिलापरिषद् के अध्यक्ष:–	1. अध्यक्ष, जिलापरिषद, भागलपुर । 2. अध्यक्ष, जिलापरिषद, बॉका । 3. अध्यक्ष, जिलापरिषद, मुँगेर । 4. अध्यक्ष, जिलापरिषद, शेखपुरा । 5. अध्यक्ष, जिलापरिषद, लखीसराय । 6. अध्यक्ष, जिलापरिषद,जमुई । 7. अध्यक्ष, जिलापरिषद, खगड़िया ।
(ग)	अभिकरण के कार्यक्षेत्र के दो कृषक:–प्रतिनिधि एवंविधानमंडल के चारसदस्य (तीन विधानसभा एवं एक विधानपरिषद से)	<u>कृषकप्रतिनिधि</u> 1. श्री राजहंस कुमार मंडल, (पिता–स्व0 सिबूमंडल,) ग्राम–बालदेव, इटहरी, पो0–फुल्लीडुपर, था0–फुल्लीडुपर, जिला–बांका । 2. श्रीसुभाष यादव, श्रीरामपुर, अनबरनगर, भागलपुर ।
		<u>विधानमंडलसदस्य</u> 1. श्री सुबोध राय, माननीय स0वि0स0 (सुल्तानगंज), 2. श्री विजय कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 (लखीसराय), 3. श्री जर्नादनमांझी, माननीय स0वि0स0 (अमरपुर), 4. श्री मनोज यादवमाननीय स0वि0प0 भागलपुर (बांका),
(घ)	मुख्य अभियंता, सिंचाई अथवा परियोजना मुख्य अभियंता–	अभियंता प्रमुख (मध्य), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।
(ड़)	इस धारा की अन्य उप धाराओं के अधीन नामित निर्दिष्ट पदाधिकारियों को छोड़कर राज्य सरकार के अधिक से अधिक तीन पदाधिकारी–	1. अधीक्षण अभियंता, कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना । 2. मुख्य अभियंता (दक्षिण), नलकूप परियोजना, लघु सिंचाई विभाग, पटना। 3. संयुक्त कृषि निदेशक, भागलपुर ।
(च)	राज्य जल संसाधन विभाग बोर्ड का एक प्रतिनिधि–	अध्यक्ष, राज्य जल संसाधन विकास बोर्ड, बिहार, पटना ।

(छ)	अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड अथवा उनका प्रतिनिधि	मुख्य अभियंता (भागलपुर), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ।
(ज)	सहकारी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि–	निबंधक, सहयोग समितियॉ, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी।
(झ)	अभिकरण के कार्यक्षेत्र में कार्य करने वाले वाणिज्जिक	1. प्रबंध निदेशक, भूमि विकास बैंक, अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी । 2. महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पटना अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी ।
(ट)	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि	प्राचार्य राजेन्द्र कृषि विश्वद्यिालय, सवौर अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी ।
(ठ)	एजेन्सी का वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा पदाधिकारी	वित्तीय सलाहकार, के0बी0सी0 कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर।

3. इस अभिकरण के अधीन पड़नेवाले सभी जिला पदाधिकारी एवं उप निदेशक, चकबन्दी इस बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे ।

4. किउल–बदुआ–चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर के इस बोर्ड की अवधि दो वर्षोकी होगी, जो अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुमीर कुमार चटर्जी,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

---

27 अप्रील 2012

सं0 क0/स्था0–19/2002–229––कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा के लिए, जल संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या–क0/स्था0–19/2002–142, दिनांक 28 जनवरी 2010 के द्वारा गठित बोर्ड की अवधि दिनांक 27 जनवरी 2012 को समाप्त हो जाने के फलस्वरूप बिहार कृषक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम 1978 (बिहार अधिनियम–3,1979) की धारा 4(1) के अधीन एक बोर्ड का निम्नवत् पुनर्गठन किया जाता हैः–

(क)	अध्यक्ष	प्रमण्डलीय आयुक्त–सह–अध्यक्ष, कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकासअभिकरण, सहरसा ।
(ख)	अभिकरणों के कार्यक्षेत्र में पड़नेवाले जिलों के जिला परिषद् के अध्यक्षः–	1. अध्यक्ष, जिलापरिषद, सहरसा । 2. अध्यक्ष, जिलापरिषद, कटिहार । 3. अध्यक्ष, जिलापरिषद, पूर्णीया । 4. अध्यक्ष, जिलापरिषद, मधेपुरा । 5. अध्यक्ष, जिलापरिषद, बेगुसराय । 6. अध्यक्ष, जिलापरिषद, किशनगंज । 7. अध्यक्ष, जिलापरिषद, अररिया । 8. अध्यक्ष, जिलापरिषद, मधुबनी । 9. अध्यक्ष, जिलापरिषद, दरभंगा । 10. अध्यक्ष, जिलापरिषद, सुपौल ।
(ग)	अभिकरण के कार्यक्षेत्र सेविधान मंडल के चार सदस्य (तीन विधानसभा एवं एक विधान परिषद से) तथा दो कृषक प्रतिनिधि	<u>विधानमंडल सदस्य</u> 1. श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव स0वि0स0, निर्मली । 2. श्री रमेश ऋषिदेव, स0वि0स0,सिंहेश्वर (अ0जा0)। 3. श्री नौसादआलम, स0वि0स0,ठाकुरगंज । 4. मो0 हारूण रसीद, स0वि0प0, ।

		<u>कृषक प्रतिनिधि</u> 1. श्री जिवनेश्वर साह, निर्मली, सुपौल । 2. श्री आलोक कुमार, पूर्णिया ।
(घ)	मुख्य अभियंता, सिंचाई अथवा परियोजना मुख्य अभियंता–	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर ।
(ड़)	इस धारा की अन्य उप धाराओं के अधीन नामित निर्दिष्ट पदाधिकारियों को छोड़कर राज्य सरकार के अधिक से अधिक तीन पदाधिकारी–	1. संयुक्त कृषि निदेशक, सहरसा । 2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णिया । 3. मुख्य अभियंता (उ0), लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर ।
(च)	अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी ।
(छ)	सहकारी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि	निबंधक सहयोग समितियॉ बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा मनोनित प्रतिनिधि ।
(ज)	अभिकरण के कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले वाणिज्जिक बैंकों के और अन्य किसी संस्थाओं के दो प्रतिनिधि	1. प्रबंध निदेशक, भूमिविकासबैंक, बिहारअथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी। 2. महाप्रबंधक, भारतीय स्टेटबैंक, पटना अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी।
(झ)	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि	उप कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वद्यिालय, पूसा अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी ।
(ट)	एजेन्सी का वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा पदाधिकारी	वित्तीय सलाहकार, कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा ।
(ठ)	एजेन्सी का प्रबंध निदेशक	प्रबंध निदेशक, कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा ।

3. इस अभिकरण के अधीन पड़नेवाले सभी जिला पदाधिकारी एवं उप–निदेशक, चकबन्दी इस बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे ।

4. कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा के लिए गठित इस बोर्ड की अवधि दो वर्षो की होगी, जो अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुमीर कुमार चटर्जी,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

सं० यो05 / विविध–49 / 07–204 / मू0नि0
योजना एवं विकास विभाग
(मूल्यांकन निदेशालय)

संकल्प
23 मई 2012

विषयः राज्य मूल्यांकन समिति का पुनर्गठन।

राज्य में विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु राज्य सरकार के संकल्प संख्या 4210, दिनांक 28 दिसम्बर 2007 द्वारा राज्य मूल्यांकन समिति गठित है। वर्ष 2009 में स्वतंत्र मूल्यांकन निदेशालय के गठन तथा प्रशासनिक परिदृश्य में परिवर्त्तन के फलस्वरूप राज्य सरकार ने राज्य मूल्यांकन समिति को निम्नरूपेण पुनर्गठित करने का निर्णय लिया हैः–

1.	मंत्री, योजना एवं विकास विभाग	अध्यक्ष
2.	विकास आयुक्त	उपाध्यक्ष
3.	प्रधान सचिव ,वित्त विभाग	सदस्य

4.	प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग	सदस्य सचिव
5.	प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
6.	प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
7.	प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
8.	सलाहकार, मूल्यांकन प्रभाग, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
9.	निदेशक, ए0एन0 सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना	सदस्य
10.	निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, पटना	सदस्य
11.	निदेशक/अपर निदेशक मूल्यांकन निदेशालय, पटना	सदस्य

2. इस समिति के निम्नांकित कार्य होंगेः–

क– विभिन्न विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु परियोजनाओं/कार्यक्रमों का चयन करना।

ख– चयनित परियोजनाओं /कार्यक्रमों के मूल्यांकन की विधि इत्यादि तय करना।

ग– मूल्यांकन प्रतिवेदनों का परीक्षण एवं अनुमोदन करना।

घ– अनुमोदित मूल्यांकन प्रतिवेदनों में अंकित सुझावों तथा अनुशंसाओं पर संबद्ध विभागों द्वारा अनुवर्त्ती कार्रवाई कराना।

3. समिति को सचिवालीय सहायता मूल्यांकन निदेशालय, बिहार से प्राप्त होगी तथा इसका मुख्यालय पटना में रहेगा।

4. समिति अपनी कार्यविधि स्वयं तय करेगी। समिति के सहायतार्थ एक विशेषज्ञ समिति होगी। इसके अतिरिक्त समिति आवश्यकतानुसार उप समितियाँ अथवा तकनीकी परामर्शदातृ समिति गठित कर सकेगी।

5. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यानी विकास आयुक्त समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगें।

6. समिति अपनी बैठकों में भाग लेने हेतु अन्य किसी पदाधिकारी अथवा विशिष्ट व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगी।

7. समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार अथवा उसके पूर्व जब भी आवश्यक हो, होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विजय प्रकाश, प्रधान सचिव।

सं० 1724/न0वि0एवंआ0वि0
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प
22 मई 2012

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार राज्य सहयोग क्रय–विक्रय संघ सीमित, (बिस्कोमान), पटना के चार सहायक अभियंताओं एवं एक कनीय अभियंता की सेवा न्यायादेश निर्गत की तिथि से सशर्त समायोजन की स्वीकृति के संबंध में।

नगर विकास एवं आवास विभाग में बिहार राज्य सहयोग क्रय–विक्रय संघ सीमित (बिस्कोमान), पटना से कुल चार सहायक अभियंताओं एवं एक कनीय अभियंता की सेवा प्रतिनियोजन के आधार पर ली गई थी। प्रतिनियुक्त अभियंताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अपनी सेवा समायोजन हेतु विभिन्न समादेश याचिकाएँ दायर की गईं जिसमें वादी के समायोजन की याचना को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा एल0पी0ए0 नं0 795/06, 628/06 एवं एल0पी0ए0 नं0 680/06 माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर किया गया। उक्त एल0पी0ए0 याचिकाओं में दिनांक 19 अप्रील 2010 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह फैसला पारित किया गया कि उक्त प्रतिनियोजित कर्मियों का प्रतिनियोजन साधारण प्रतिनियोजन नहीं मानते हुये इसकी सेवा स्थानांतरित कर तीन माह के अंदर इनके पुर्नवास या समायोजन के विषय मे निर्णय लिया जाय। जबतक ऐसा निर्णय नहीं लिया जाता है तबतक वे

सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए संबंधित विभाग के कर्मी माने जायेगे। उक्त निर्देश के साथ उक्त सभी एल0पी0ए0 याचिकाओं को माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकृत करने की कृपा की।

2. उक्त एल0पी0ए0 याचिका में पारित आदेश के विरूद्ध सरकार के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई जिसे दिनांक 24 जनवरी 2011 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

3. उपरोक्त के आलोक में सम्यक् रूप से विचारोपरांत राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित फैसलों के अनुपालन में बिहार राज्य सहयोग क्रय–विक्रय संघ सीमित (बिस्कोमान), पटना से प्रतिनियुक्त निम्नांकित चार सहायक अभियंताओं एवं एक कनीय अभियंता की सेवा उपर्युक्त एल0पी0ए0 याचिकाओं में पारित माननीय उच्च न्यायालय के फैसले की तिथि अर्थात् दिनांक 19 अप्रील 2010 से विभाग में समायोजित किया जायः–

(1) श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता,

(2) श्री संतोष कुमार सिंह, सहायक अभियंता,

(3) श्री सत्येद्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता,

(4) श्री सुरेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, (सेवानिवृत),

(5) श्री जयनाथ तिवारी, कनीय अभियंता।

4. यह समायोजन निम्नांकित शर्त्तों के अधीन होगाः–

(क) अभियंता जिस आरक्षण श्रेणी में आते है तदनुसार ही आरक्षण बिन्दु के आधार पर इसका समायोजन किया जायेगा।

(ख) प्रतिनियुक्ति की तिथि से समायोजन की पूर्व की अवधि को सेवोत्तर लाभ की गणना हेतु राज्य सरकार की सेवा समझी जायेगी।

(ग) समायोजन वर्ष 2005 के बाद के अवधि में हो रहा है, अतः इन्हें नयी पेंशन योजना का ही लाभ प्राप्त हो सकेगा।

(घ) अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र के अनुसार भविष्य निधि कटौती की राशि में अपना अंशदान मिलाकर बिस्कोमान भविष्य निधि कोषांग में जमा करा देगा।

(ङ) समायोजन की तिथि को समायोजित पद का प्रारंभिक स्तर का वेतन इन्हें प्राप्त होगा। यदि यह वेतन उन्हें पहले से प्राप्त वेतन से कम होगा तो विशेष परिस्थिति में उन्हें वेतन संरक्षण देने पर विचार किया जायेगा।

(छ) प्रतिनियुक्ति तिथि को जो अभियंता जिस कोटि में प्रतिनियुक्त थे उसी कोटि में उनका समायोजन किया जा रहा है। प्रतिनियुक्ति की अवधि में यदि बिस्कोमान के द्वारा इन अभिंयताओं को विधिवत प्रोन्नति दी गई होगी तो जाँचोपरान्त प्रोन्नति के अनुसार समायोजन का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार सिंह, संयुक्त सचिव ।

मुख्य अभियन्ता (उत्तर) का कार्यालय
नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय–आदेश
19 अप्रील 2012

सं० स्था0–3, बी–13/11–630––सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–1661, दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व0 सुधन साह भूतपूर्व हेल्पर नलकूप प्रमण्डल, गोपालगंज के आश्रित पुत्र श्री विजय साह को नलकूप प्रमंडल सीवान के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 1–एस0 4440–7440, ग्रे0पे0 1650 रूपये तथा सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द् किया जा सकता है।

2. श्री विजय साह पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन–देन नहीं करना , न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने ,न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व0 सुधन साह. के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण–पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ–पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमंडल सीवान . के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र, मृत्यु प्रमाण–पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

4. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05 अक्तूबर 1991 का कंडिका–1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।

5. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05 अक्तूबर 1991 की कंडिका–7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण–पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री विजय साह को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री विजय साह की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे।

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।

9. योगदान करने हेतु श्री विजय साह को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10 वित विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।

आदेश से,
एन0 पासवान,
मुख्य अभियन्ता (उत्तर)।

पर्यटन विभाग

कार्यालय आदेश

15 मई 2012

सं० पर्य०/यो०(रा०)-65/2011-36-1418—पर्यटन विभाग, बिहार सरकार द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन का सभी कार्य कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निविदा के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया हैं। इस संबंध में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में पर्यटन विभाग द्वारा कार्यकारी एजेन्सी को दिये गए परियोजनाओं का कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से ही करायी जाय। यह आदेश निर्गत की तिथि से लागू होगा।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, विशेष सचिव ।

शिक्षा विभाग

अधिसूचनाएं
9 अप्रील 2012

सं०10/व–1–16/04 मा0–427—बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 की धारा–4 के प्रावधानों के अधीन निम्नांकित सदस्यों को बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना का पुनर्गठन अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए नियुक्त किया जाता है। इन सदस्यों का कार्यकाल बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 की धारा–5 में निहित प्रावधानों से आच्छादित होगा।

1.	**अध्यक्ष,** बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना।	–	**अध्यक्ष**
2.	**कुलपति,** कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।	–	**पदेन सदस्य**
3.	**विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा,** शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।	–	**पदेन सदस्य**
4.	**श्रीमती ज्ञानी मिश्रा, शिक्षिका,** राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय, पटना।	–	**सदस्य**
5.	**श्री अरूण कुमार झा, शिक्षक,** संस्कृत विद्यालय, लगमा, जिला–दरभंगा।	–	**सदस्य**
6.	**श्री गिरीन्द्र मोहन मिश्र परमहंस,** गांधी संस्कृत प्राथमिक सह मध्य विद्यालय, कमला, समस्तीपुर।	–	**सदस्य**
7.	**डा0 सुशील कान्त मिश्र, व्याख्याता,** देवशंकर हलधार चौधरी महाविद्यालय, चॉनपुरा, मधुबनी।	–	**सदस्य**
8.	**डा0 चौठी सदाय, विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष,** धर्मशास्त्र विभाग, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।	–	**सदस्य**
9.	**प्रो0 कालका दत्त झा, पूर्व विभागाध्यक्ष,** पी0 जी0, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।	–	**सदस्य**
10.	**श्री शोभा कान्त झा, सहायक शिक्षक,** मुक्तेश्वर संस्कृत प्राथमिक सह मध्य विद्यालय, देवहार, मधुबनी।	–	**सदस्य**
11.	**श्री जय कुमार झा, प्रधान शिक्षक,** +2 मुकुन्दी चौधरी उच्च विद्यालय, कादिराबाद, दरभंगा।	–	**सदस्य**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र प्रसाद, संयुक्त सचिव।

9 अप्रील 2012

सं०10/व 1–16/04–मा0–426—बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 की धारा–4 तथा 5 (1) एवं 8 (1) के प्रावधानों के अधीन **प्रो0 (डा0) रामदेव प्रसाद** को बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले आदेश तक अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है। इनका कार्यकाल बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम की धारा 8 में निहित प्रावधान से आच्छादित होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र प्रसाद, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 11—571+**200**-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचनाएं

24 अप्रील 2012

सं० कौन/भी–910/2010–44––विभागीय अधिसूचना संख्या 298, दिनांक 5 अक्तूबर 2009 द्वारा गुप्तेश्वर प्रसाद, बिहार वित्त सेवा संप्रति वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त, प्रभारी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल, मुजफ्फरपुर को पटना सिटी पूर्वी अंचल के पदस्थापनकाल में निर्धारित राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहीं करने के लिए ''निन्दन'' की सजा दी गई जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 2007–08 में की गई थी। तदनुपरान्त उनके द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 292/2010 में दिनांक 26 अगस्त 2011 को पारित न्याय–निर्णय के आलोक में सरकार द्वारा ''निन्दन'' की सजा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इस पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से
(ह०) अस्पष्ट,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

23 मई 2012

सं० कौन/भी–129/2007–57––विभागीय अधिसूचना संख्या 272, दिनांक 25 जुलाई 2008 द्वारा श्री इन्द्र नारायण झा, वित्त सेवा संप्रति वाणिज्य–कर पदाधिकारी, किशनगंज अंचल को अन्वेषण ब्यूरो, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पदस्थापनकाल में अनाधिकृत रूप से वाहन चेकिंग करने एवं निर्धारित राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहीं करने इत्यादि आरोपों के लिए ''निन्दन'' की सजा दी गई जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष–2007–08 में की गई थी। तदनुपरान्त उनके द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–7729/2009 में दिनांक 4 अगस्त 2011 को पारित न्याय–निर्णय के आलोक में सरकार द्वारा ''निन्दन'' की सजा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इस पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से
(ह०) अस्पष्ट,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

योजना एवं विकास विभाग

अधिसूचना

23 मई 2012

सं० यो0स्था0/सां0नि0/3–2/2003–1929/यो0वि0––डा0 ओंकारेश्वर प्रसाद, निदेशक, सेवा निवृत्त, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना के विरूद्ध सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, पटना में उनके कार्यकाल में हुई वित्तीय अनियमितता के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43बी के अन्तर्गत विभागीय संकल्प संख्या 2981 दिनांक 25 सितम्बर 2006 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी, जिसके संचालन पदाधिकारी विभागीय जॉच आयुक्त बनाये गये ।

विभागीय जॉच आयुक्त ने डा0 प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोपों के संदर्भ में अपना जॉच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया । संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत प्रमाणित आरोप का आरोपवार स्थिति निम्नवत है :–

(1) आरोप संख्या–1(ख) :– यह आरोप आरोपी के द्वारा बिहार वित्तीय नियमावली के अधीन नियमों का अनुपालन नहीं करने के कारण गवन होने से संबंधित है ।

विभागीय जांच आयुक्त ने इसे प्रमाणित पाया है।

(2) आरोप संख्या–2 :– यह आरोप बिना विधिवत प्रभार दिए दिनांक 11.09.2000 से 04.01.2001 की अवधि में श्री जय प्रकाश नारायण श्रीवास्तव से अनियमित ढंग से बिना किसी सक्षम आदेश के रोकड़पाल का काम लिए जाने तथा निजी स्वार्थ साधक पाये जाने पर आदेश संख्या–5 दिनांक 05.01.2001 द्वारा रोकड़पाल के कार्य संपादनार्थ आपके द्वारा उन्हें प्राधिकृत किया गया ।

विभागीय जांच आयुक्त ने इसे अंशतः प्रमाणित पाया है ।

(3) आरोप संख्या–3(ख) :– यह आरोप श्री विद्याकान्त झा, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के स्थानान्तरण के उपरान्त श्री विष्णु दयाल पंडित, सहायक निदेशक के आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में प्रभार लेने के उपरान्त प्रभार की तिथि को बारम्बार रोकड़पाल द्वारा अन्तः शेष राशि की विवरणी उपलब्ध नहीं कराने एवं श्री प्रसाद द्वारा 6.00 लाख रुपये से अधिक की राशि की रोकड़ में अनुपलब्धता को अनदेखी करने से संबंधित है ।

विभागीय जांच आयुक्त ने इसे अंशतः प्रमाणित पाया है।

(4) आरोप संख्या–4(क) :– यह आरोप डाक टिकट के वास्तविक उपयोग की सूचना प्राप्त किए बिना डाक टिकट क्रय हेतु राशि का आहरण करने तथा आहरित राशि में से ₹ 62,000/–(बासठ हजार) मात्र गवन से संबंधित है ।

विभागीय जांच आयुक्त ने इसे अंशतः प्रमाणित पाया है।

(5) आरोप संख्या–5(ग) :– यह आरोप श्री विष्णु दयाल पंडित के दिनांक 03.06.2003 को लेखा का प्रभार लेने के उपरान्त लेखा संधारण के अद्यतन नहीं किए जाने की सूचना दिए जाने के बावजूद दिनांक 15.08.2003 को रोकड़पाल श्री श्रीवास्तव को बिना रोकड़ का प्रभार दिलाए उपार्जित अवकाश में प्रस्थान करने देने तथा लेखा पदाधिकारी को लेखा की सही जानकारी नहीं होने देने से संबंधित है ।

विभागीय जांच आयुक्त ने इसे प्रमाणित पाया है ।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में डा0 प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त की गई। प्राप्त कारण पृच्छा में कोई नया साक्ष्य डा0 प्रसाद द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतएव प्राप्त कारण पृच्छा की सम्यक् समीक्षा के बाद प्रमाणित आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए डा0 प्रसाद को दंडित करने का निर्णय लिया गया है। प्रावधान के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 3166 दिनांक 20.03.2012 से प्राप्त परामर्श के आलोक में डा0 प्रसाद के पेंशनादि से 5 (पाँच) प्रतिशत की राशि कटौती करने का निर्णय लिया जाता है। यह कटौती आदेश निर्गमन की तिथि से लागू होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, प्रधान सचिव ।

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-22/12-3044

VIGILANCE DEPARTMENT

DECLARATION

22nd May 2012

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

WHEREAS, It is alleged that **Sri Sushil Kumar Chaudhary, the then Accountant Superintendent of Police, Muzaffarpur (Bihar), S/o Late Satyanarayan Chaudhary, Permanent Addrss R/o Magardahi, Ward No. 15, Samastipur, P.S. - Samastipur Town, Dist. - Samastipur (Bihar)** while holding the post of **the Accountant Superintendent of Police, Muzaffarpur (Bihar),** and serving in different capacities under Bihar Government, committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig. P.S. Case No. **16/12** dated **09-02-2012.**

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said **Sri Sushil Kumar Chaudhary, the then Accountant Superintendent of Police, Muzaffarpur (Bihar),** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar
sd/-Illegible,
Principal Secretary.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 11—571+**50**-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in